

प्रारूप-2.1

भाग-1

परियोजना का नाम:- तिलाडी से सेरा तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (लम्बाई 6.250 किमी)

1. क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव परियोजना/ स्कीम का संक्षिप्त विवरण।
 ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।
 ग) परियोजना की लागत।
 घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।
 ङ) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।
- तिलाडी से मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 6.250 किमी। लम्बाई में किया जाना है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण से डीडीहाट विकास खण्ड के दूरस्थ गावों को मोटर मार्ग की सुविधा प्राप्त होगी।
- 1:50000 का मानवित्र संलग्न है।
- ₹53.71 लाख।
- N/A
- मार्ग के निर्माण के समय स्थानीय श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में समय-समय पर अन्य कार्यों एवं विकास के अवसर बढ़ेगे। मार्ग पूर्ण होने के उपरान्त ग्रामीण जनसंख्या को आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य एवं कृषि से सम्बन्धित लाभ मिलेगा।
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:
 (i) रोड निर्माण हेतु ली जा रही वन पंचायत भूमि
 (ii) मक डिस्पोजल हेतु ली जा रही वन पंचायत भूमि
 (iii) रोड निर्माण हेतु ली जा रही राज्य भूमि
 (iv) मक डिस्पोजल हेतु ली जा रही राज्य भूमि
- -
- -
- 2.520 हेए
- 0.500 हेए
- 3.020 हेए
- 3.105 हेए
- 3.105 हेए
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है
 क) परिवारों की संख्या
 ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या
 ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)
- नहीं।
- नहीं।
- नहीं।
- नहीं।
4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है? (हाँ/नहीं)
- नहीं।
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड रखरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)
- हाँ।
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/ दस्तावेजों का व्यौरा।
-

दिनांक 22/07/2019
स्थान - डीडीहाट

का इन समिति
दीडीहाट का

कानून अधिकारी
प्रांख्यलोकनियन्त्र
डीडीहाट

संस्कारकार्यालय
डीडीहाट

संस्कारकार्यालय / संस्कारकार्यालय

संस्कारक अधिकारी
मा. ना. लो. नि. वि.
डीडीहाट (प्रियोरिटी)

कैनपी ३५

अधिकारी अधिकारी
प्रांख्यलोकनियन्त्र
डीडीहाट

उप नियन्त्रित
डीडीहाट

प्रारूप-3

भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

7. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति -
 (i) राज्य/संघराज्यक्षेत्र
 (ii) जिला
 (iii) जिला वन प्रभाग
 (iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र
8. पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति -
9. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का व्यौरा :
 (i) वन का प्रकार
 (ii) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व
 (iii) प्रजातिवार रथानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिणामना
 (iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा
10. भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी - भू अस्त्रण की सम्भावना
11. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी - - 1 Km.
12. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :
 (i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का व्यौरा :
 (ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याध रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)
 (iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याध रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)
 (iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याध रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)
 (v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किसम के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे
13. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक रथापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका व्यौरा दें) - नहीं।
14. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें
 (i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है।
 (ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।
15. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे : - नहीं

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के - नहीं।
अतिकरण में किसी कार्य को किया गया है (हाँ/नहीं)

(ii) यदि हाँ, की गई कार्य अवधि, अतिकरण में अंतर्वलित वन भूमि, -
अतिकरण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और
पदनाम सहित अतिकरण के ब्यौरे और अतिकरण के लिए
उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई
कार्यवाही

(iii) क्या अतिकरण में कार्य अब भी प्रगति में है (हाँ/नहीं)

16. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :

(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की - संलग्न है।
विधिक प्रारिथ्मिति।

(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और - संलग्न है।
क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या
अवनत वन जैसे ब्यौरे दें।

(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में - संलग्न है।
रथल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न हैं।

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे
संलग्न हैं (हाँ/नहीं)।

(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय : - संलग्न है।

(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से
पहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन
संरक्षक से प्रमाण—पत्र संलग्न हैं (हाँ/नहीं)।

17. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधात से - हाँ।
सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की
रथल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हाँ/नहीं)।

18. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन - संलग्न है।

लाइनी

चैटी

संलग्न है।

संलग्न है।

संलग्न है।

हाँ।

संलग्न है।

हाँ।

हाँ।

प्रस्ताव संलग्न

विभाग डाक लगाड़ गिर

हस्ताक्षर

नाम


शासकीय मुद्रा

स्थान: डीडीहाट।

तारीख: 14-2-2020

सहित असामी भाषावान
राज्य सरकार भारत सरकार द्वारा लगाड़ गिर

शासकीय वन अधिकारी
संविधान वन विभाग



प्रारूप-4

भाग-3

19. या स्थल, जहां अंतर्वलित वन भूमि अवरिथत है उसका वन संरक्षक - हॉ।
द्वारा निरीक्षण किया गया है (हां/नहीं)। यदि हां, तो निरीक्षण
टिप्पणी के रूप में किए गए निरीक्षण और संप्रेषण की तारीख
संलग्न की जाय।
20. क्या वन संरक्षक भाग 2 में दी गई जानकारी और उप वन संरक्षक
की सिफारिशों से सहमत हैं।
21. विस्तृत कारणों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए
वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों आख्या संलग्न है।

स्थानः

तारीखः

हस्ताक्षर

नाम

शासकीय मुद्रा